कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बरघाट जिला सिवनी (म.प्र.)

—:: आदेश ::—

क्रमांक / 525 / कानूनगो / 2025 बरघाट, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

पटवारी श्री अकिंत बेत्थरिया प0ह0न0 78 रा0नि0म0 बरघाट तहसील बरघाट को तहसीलदार बरघाट के कारण बताओ नोटिस कमांक 444 / का. / 2025 बरघाट दिनांक 18 मार्च 2025 के अनुसार पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने मे लापरवाही बरते जाने के संबंध में जारी किया गया जिसका जबाव संतोषप्रद न होने पर आदेश क्रमांक 451 / कानूनगो / 2025 बरघाट दिनांक 20 मार्च 2025 के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरघाट संबद्ध किया गया ।

2— पटवारी श्री अकिंत बेत्थरिया प0ह0न0 78 द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर एक आवेदन तथा संलग्न दस्तावेज सहित निवेदन किया उसे नियम विरूद्ध निलंबित किया गया जबकि उसके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना तहसीलदार बरघाट के व्हाटएप्स के माध्यम से दिनांक 11 जनवरी 2024 को अवगत करा दिया गया था व्हाटएप्स के द्वारा दो दिन का आकस्मिक अवकाश आवेदन, डॉक्टर की पर्ची तथा एक आवेदन भी पेश किया कि 03 दिनों का आकस्मिक अवकाश का आवेदन दिया था डाक्टर के परामर्श से 20 दिनों का विश्राम करने का सलाह दी गयी अर्जित अवकाश सहित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया ।

3— माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष लंबित MISC CRIMINAL CASE NO 49647/2024 में पारित आदेश दिनांक 21 मार्च 2025 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध (disposed of) किया जा चुका है ।

4— माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं पटवारी श्री अकिंत बेत्थरिया (निलंबित) द्वारा दिये गये आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पटवारी द्वारा दिनांक 11 / 1 / 2024 को दुर्घटना होने संबंधी जानकारी तहसीलदार बरघाट को व्हाटएप्स के माध्यम से दी गयी थी । तहसीलदार उक्त आवेदन को वरिष्ठ अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना था ।

5— अतः पटवारी द्वारा दिये गये दस्तावेजों के आधार पर एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष लबिंत MISC CRIMINAL CASE NO 49647/2024 में पारित आदेश दिनांक 21 मार्च 2025 के आधार पर पटवारी श्री अकित बेत्थरिया (निलबिंत) को तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल किया जाकर नवीन पटवारी हल्का नम्बर **23--जावरकाठी** में पदस्थ किया जाता है । ग्राम ताखलाकंला प0ह0न0 78 का अतिरिक्त प्रभार श्री मंयक सनोडिया पटवारी हल्का नम्बर 76 को सौपा जाता है ।

6— पटवारी श्री अकिंत बेत्थरिया का निलबंन अवधि को सेवा अवधि मान्य की जाती है एवं भविष्य के लिये चेतावनी दी जाती है कि विशेष परिस्थितियों में अवकाश का सूचना फोन दूरभाष के अतिरिक्त अपने नजदीकी साथियों के द्वारा तत्काल सक्षम अधिकारी को दी जाये ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(संदीप श्रीवास्तव)
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
बरघाट

पृ0 क्रमांक / 525/A / का. / 2025 बरघाट, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि :—कलेक्टर महोदय भू अभिलेख शाखा सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ।

2— तहसीलदार / नायब तहसीलदार बरघाट की ओर सूचनार्थ ।

3— राजस्व निरीक्षक बरघाट / गंगेरूआ धपारा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित पटवारियों का प्रभार तत्काल दिलाये जाने की कार्यवाही करें ।

4— संबंधित पटवारी श्री ----------------------------------की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
बरघाट

Scanned by CamScanner